न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद
(डॉ0 भंवर लाल,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
पंचायत रिवीजन संख्याः 22/2017
दायर दिनांकः 18.12.2017
निर्णय दिनांक 17.05.2024

—: अनवान :—

1. ईन्दरलाल पिता धुला जी जाति कुम्हार, उम्र 75 वर्ष, निवासी बडा भाणुजा, तहसील खमनोर, जिला राजसंमद **— निगराकार**

बनाम

1. ग्राम पंचायत बडा भाणुजा जरिये संरपच/सचिव महोदय, ग्राम पंचायत बडा भाणुजा तहसील खमनोर जिला राजसमंद
2. फुलीबाई पत्नि मांगीलाल जी जाते नाई उम्र वयस्क निवासी बडा भाणुजा तहसील खमनोर जिला राजसंमद **— गैर निगराकार**

निगरानी विरूद्ध ग्राम पंचायत बडा भाणुजा, पंचायत समिति खमनोर के पटटा कमाक 078 के बुक सख्या 015 आबादी भुमि विक्रय विलेख नियम 157 (1), के अर्न्तगत जारी पटटा विलेख दिनाक 20—6—014 मे पारित संकल्प सख्या 2 दिनाक 5—6—2014, को अपास्त कर उक्त पटटा विलेख को निरस्त कराने बाबत

उपस्थितः—

1— श्री मुकेश तलेसरा, अधिवक्ता प्रार्थी/निगरानीकार
2— अप्रार्थी संख्या 01 व 02 अनुपस्थित

प्रकरण के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है यह कि ग्राम पंचायत बडा भाणुजा पंचायत समिति खमनोर द्वारा दिनांक 5—6—2014 संकल्प संख्या 2 की अनुपालना मे दिनांक 20—6—2014 को कोरम सभा रख कर विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में नियम 157 (1) के अर्न्तगत राजस्थान पंचायत राज नियम के अर्न्तगत पट्टा विलेख जारी किया, जिसके एक सो/दो सो रूपये कि फीस निक्षित कर ली है, का उल्लेख किया है उक्त पट्टे मे अंकित इबारत अनुसार पट्टाशुदा भुमि पर आबंटिती का 50 वर्ष से अधिक से पुराने घर पर कब्जा है, इस आधार पर पट्टा जारी किया गया है। उक्त पट्टेशुदा भुमि के सम्बन्ध मे निगराकार का आधिपत्य था तथा इन्दरलाल ने उक्त भुमि उदा पिता चतुर्भुज जी गाडरी निवासी बडा भाणुजा से अन्य सम्पतियो के साथ दिनांक 30.07.1979 को क्रय किया तब से उक्त भुखण्ड निगराकार के अलावा अन्य किसी का कोई हक अधिकार नही है, तथा उक्त भुखण्ड के पास विपक्षी संख्या 2 के पति मांगीलाल नाई का एक कमरा स्थित था तथा मांगीलाल कि-मृत्यु हो गई तथा विपक्षी संख्या 2 दिनांक 14.10.2017 को उक्त भुखण्ड पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया, तथा निगराकार ने मना किया तो लडाई—झगडा करने पर उतारू हो गये जिस पर निगराकार ने सिविल न्यायालय महोदय, नाथद्वारा मे एक वाद स्थाई निषेधाज्ञा एव अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसके प्रकरण संख्या 167/017 ई दी, तथा

171/017 मु दी होकर माननीय न्यायालय में विचाराधीन है तथा मु दी 171/017 का निस्तारण न्यायालय द्वारा दिनाक 17.11.2017 को हो गया तथा निगराकार का ईन्दरलाल का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षी संख्या 2 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया कि मुल वाद के अन्तिम निस्तारण तक उपरोक्त वादग्रस्त भुखण्ड पर किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नही करे तथा प्रार्थी के उपयोग उपभोग मे भी किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न न करे तथा न ही अन्य से करावे, तथा मौके कि यथास्थिति बनाये रखे इस प्रकार का आदेश पारित किया, अर्थात् वादग्रस्त भुमि पर विपक्षी संख्या 2 का कोई हक अधिकार नहीं था, तथा विपक्षी संख्या 2 ने उक्त अवैध पट्टा दिनांक 31.10.2017 को न्यायालय में प्रस्तुत किया तब निगराकार को इस अवैध पट्टे कि जानकारी हुई ग्राम पंचायत ने मौके कि कार्यवाही के सम्बन्ध में तथा नियमो को ताक में रखकर पट्टा जारी किया गया। जिससे व्यथित होकर उक्त निगरानी पेश की हैं। ग्राम पंचायत बडा भाणुजा द्वारा जो पटटा विलेख जारी किया गया है एवं पट्टे में वर्णित इबारत से स्पष्ट हे कि पट्टेशुदा भुमि को 50 वर्ष से अधिक पुराने घर पर कब्जा होना अंकित किया है जबकि जब पटटा जारी किया गया तब विपक्षी सख्या 2 के मकान का नही बनाकर, निगराकार के भुखण्ड कि जमीन को भी सम्मलित करते हुए पटटा विपक्षी सख्या 2 के पक्ष मे निष्पादित कर दिया तथा ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायत राज अधिनियम एवं नियम मे प्रावधान निर्धारित है तथा पट्टा जारी करने से पूर्व कोई आपति का आहवान नहीं किया, तथा किसी व्यक्ति कि सम्पति के सम्बन्ध मे बिना किसी जाच पडताल किये, वादग्रस्त पट्टा विपक्षी संख्या 2 के नाम से जारी कर दिया जो निरस्त योग्य हैं। पट्टे में जिस सम्पति का उल्लेख किया गया है, उस सम्पति के सम्बन्ध मे सिविल न्यायालय मे प्रकरण विचारण के दौरान कमीश्नर रिपोर्ट तलब कि गई उस कमीश्नर रिपोर्ट मे भी पट्टे मे लिखे हुए पडोस मौके पर विधमान नही होना कमीश्नर रिपोर्ट मैं आया हैं, तथा जो लम्बाई चौडाई अंकित कि गई हैं। वह भी मनमकसुद तरीके से की गई हैं तथा वादग्रस्त पट्टशुदा भुमि के पडोसीयों को भी किसी प्रकार कि कोई सुचना एवं आपति नही मांगी गई तथा विपक्षी सख्या 1 ने सभी कानुनी प्रावधानो को नजरअंदाज करते हुए मात्र कागजो में कार्यवाही का उल्लेख करते हुए अवैध व फर्जी पट्टा जारी किया हैं। उक्त पटटे का कुल क्षेत्रफल कितना है, वह भी अंकित नही किया, तथा जो पटटे पर नजरी नक्शा दिया, वह भी गलत रूप से दिया जबकि ग्राम पंचायत को केवल मात्र 157 (1) के अर्न्तगत पुराने मकान का ही टाईटल के सम्बन्ध मे पटटा देने का अधिकार हैं, भुखण्ड का पट्टा देने का कोई अधिकार नही है, जबकि विपक्षी सख्या 1 ने अपने अधिकारो से परे जाकर, पुराने मकान कि जगह भुखण्ड का पटटा जारी किया जो निरस्त योग्य है। अतः निगरानीकार की निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत बडा भाणुजा द्वारा जारी किया गया पट्टा को निरस्त फरमाया जावें।

प्रार्थी/निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण/गैर निगरानीकार को जरिये नोटिस सूचित किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा दिनांक 17.12.2019 को पत्रावली पेश की। अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता श्री रोशनलाल रेबारी ने अपनी उपस्थिति दी। लेकिन दिनांक 23.01.2020 से अनुपस्थित। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के अनुपस्थित होने से दिनांक 13.02.2020 को एकपक्षीय कार्यवाही की आज्ञा पारित की गई।

अधिवक्ता निगराकार की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में निगरानी याचिका में लिए गए आधारो को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम पंचायत बडा भाणुजा पंचायत समिति खमनोर द्वारा दिनांक 5–6–2014 संकल्प संख्या 2 की अनुपालना मे दिनांक 20–6–2014 को कोरम सभा रख कर विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में नियम 157 (1) के अर्न्तगत

न्यायालय जिला कलक्टर

राजस्थान पंचायत राज नियम के अर्न्तगत पट्टा विलेख जारी किया, जिसके एक सो/दो सो रूपये कि फीस निक्षित कर ली है, का उल्लेख किया है उक्त पट्टे मे अंकित इबारत अनुसार पट्टाशुदा भुमि पर आबंटिती का 50 वर्ष से अधिक से पुराने घर पर कब्जा है, इस आधार पर पट्टा जारी किया गया है। जबकि उक्त प्रकरण में पट्टा जारी करने के पूर्व नियम 140 से 148 तक के प्रावधानों की पालना नही की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने पट्टा जारी करने से पूर्व किसी प्रकार की कार्यवाही विवरण का संधारण नही किया। उक्त पत्रावली में पंचायत की कार्यवाही का कोई फर्द अहकाम मौजुद नही हैं। पत्रावली पट्टे हेतु किस दिन प्रस्तुत हुई हैं। उसका भी कोई अंकन नही हैं। निर्णय पत्र की दिनांक में भी कॉट–छॉट हैं। जिससे प्रमाणित है कि नियमो की पालना के बगैर ही उक्त पट्टा जारी किया गया हैं। अतः निगरानीकार की निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत बडा भाणुजा द्वारा जारी किया गया पट्टा को निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता निगराकार की बहस पर गहन मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया गया। निगराकार द्वारा उक्त निगरानी याचिका ग्राम पंचायत बडा भाणुजा के द्वारा विपक्षी संख्या 02 के पक्ष मे जारी किये गये पट्टे के संबंध में प्रस्तुत की है। उक्त प्रकरण में विपक्षी संख्या 02 के पक्ष में ग्राम पंचायत द्वारा जो पट्टा जारी किया गया है। पट्टे के लिए किये गये आवेदन पर दिनांक कोई अंकन नही हैं। ग्राम पंचायत ने उक्त आवेदन को कब प्राप्त किया उसका भी कोई अंकन नही हैं। पत्रावली मिसल के रूप में कायम भी नही हुई हैं। नही कार्यवाही का विवरण मौजुद हैं। जिससे यह प्रमाणित होता है कि उक्त पट्टे के सबंध में ग्राम पंचायत द्वारा की गई कार्यवाही नियमो के विपरित जाकर उक्त कार्यवाही की गई हैं। भूखण्ड का पट्टा जारी करने के संबंध में नियम 140 से 148 के प्रावधान हैं, लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा उक्त नियमो की पालना नही किया जाना भी प्रमाणित पाया गया। उपरोक्त विवेनचानुसार निगराकार की निगरानी याचिका स्वीकार कर आलौच्य पट्टा संख्या 78 दिनांक 20.06.2014 को निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

:: **आदेश** ::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत बडा भाणुजा द्वारा जारी आक्षेपित पट्टा को निरस्त किया जाता हैं।

(डॉ0 भंवर लाल)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 17.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

(डॉ0 भंवर लाल)
जिला कलक्टर
राजसमंद